

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 711
7 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

पीसीसीएस और पीएसीसीएस का कार्यकरण

+ 711. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 एसएस और एसटी केरल सहित देश में प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों (पीसीसीएस) और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीसीएस) के कार्यकरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए धारा 269 एसएस और एसटी को लागू करने में कतिपय वर्गों के व्यक्तियों और संस्थाओं को छूट प्रदान की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि केरल राज्य में पीसीसीएस और पीएसीसीएस उक्त धारा के कथित उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई और परिणामी कार्रवाई का सामना कर रही है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकारी क्षेत्र के लिए अनुकूल आयकर व्यवस्था प्रदान करने और धारा 269SS और 269A के संबंध में सहकारी समितियों द्वारा सामना किए जा रहे व्यावहारिक कठिनाइयों और दंडात्मक कार्रवाई की रोकथाम हेतु बजट भाषण 2023-24 में निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- I. आयकर अधिनियम की धारा 269 SS को संशोधित करते हुए यह प्रावधान किया गया कि किसी प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य से स्वीकार किए गए किसी धनराशि या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि समिति या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य से नकद में लिए गए ऋण पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, यदि ऐसी ऋण की राशि या जमाराशि नकद में 2 लाख रुपए से कम है।
- II. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269A को संशोधित करके यह प्रावधान किया गया है कि जहां किसी प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य की जमाराशि का भुगतान किया जा रहा हो या किसी प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक द्वारा अपने सदस्य को नकद में ऐसी ऋण का पुनर्भुगतान किया जा रहा हो तो उसपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि ऐसी ऋण की राशि या जमाराशि नकद में 2 लाख रुपए से कम है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269A के लिए सीबीडीटी की परिपत्र सं. 25/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 (अनुबंध-I) के माध्यम से उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्ट कार्य करने वाली सहकारी समितियों द्वारा सामना किए जा रहे व्यावहारिक कठिनाइयों और संबंधित दंडात्मक प्रावधानों को हटाने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

Circular No. 25/2022

F. No. 225/129/2022/

**Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)**

New Delhi, Dated 30th December, 2022

Subject: Clarification for the purposes of clause (c) of Section 269ST of the Income-tax Act, 1961 in respect of dealership/distributorship contract in case of Co-operative Societies – reg.

Section 269ST *inter-alia* prohibits receipt of an amount of two lakh rupees or more (*hereinafter referred to as 'the prescribed limit'*) by a person, in the circumstances specified therein, through modes other than by way of an account payee cheque or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed.

2. References have been received in respect of Milk Producers' Cooperative as to whether under the provisions of Section 269ST of the Act, receipt(s) in cash in a day of bank holiday/closure of bank day within 'the prescribed limit' from a distributor against sale of milk when payments were through bank on all other days is to be considered as a single transaction or whether all such receipts in cash in a previous year would be aggregated in respect of transactions with a distributor to treat it as one event or occasion.

3. With respect to the reference at Para 2 above, it is clarified that in respect of Co-operative Societies, a dealership/ distributorship contract by itself may not constitute an event or occasion for the purposes of clause (c) of Section 269ST. Receipt related to such a dealership/distributorship contract by the Co-operative Society on any day in a previous year, which is within 'the prescribed limit' and complies with clause (a) as well as clause (b) of Section 269ST, may not be aggregated across multiple days for purposes of clause (c) of Section 269ST for that previous year.

Ravinder
30/12/2022

(Ravinder Maini)

Director to the Government India

Copy to:

1. PS to FM/ OSD to FM/ OSD to MoS(R).
2. PS to Secretary (Revenue).
3. The Chairperson, Members and all other officers in CBDT of the rank of Under Secretary and above.
4. All Pr. Chief Commissioners/ Pr. Director General of Income-tax - with a request to circulate amongst all officers in their regions/ charges.
5. CIT (M&TP), CBDT.
6. Web manager for posting on the Departmental website.
7. Database Cell for posting on the irsofficersonline website.
8. Guard File.

Director to the Government India